Guidelines for I.R.D.P.

*215. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether there is any proposal under Government's consideration to change the guidelines for I.R.D.P.; and
 - (b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) The Integrated Rural Development Programme is an ongoing programme whose features are reviewed and modified from time to time for improving its implementation. *At* present there is no proposal under Government's consideration to change the guidelines.

(b) Question does not arise.

Fresh letter of approval for IBM-TATA joint venture

*216. SHRI YASHWANT SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether Government have issued a fresh letter of approval for the IBM-TATA joint venture superseding the earlier one;
- (b) if so, the terms and conditions which have been changed in the revised letter of approval; and
 - (c) what are the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KUREIN): (a) Yes, Sir.

- (b) Mainly, the changes relate to the duration of collaboration agreement and royalty payment.
- (c) The changes would facilitate continued access to developments in com-pBter hardware technology and soft-fdae from the foreign collaborator.

लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाया जाना

- *217 श्री विस्वासराव रामराव पाटिल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि प्रधान मंती ने हाल ही में कहा है कि लाइसेंस प्रक्रिया को और उदार बनाया जाएगा;
- (ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं जिनकी लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाया जाएगा;
- (ग) क्या सरकार चीनी उद्योग तथा कृषि पर ग्राधारित उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से बाहर रखेगी; ग्रीर
- (घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ग्रौर यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीपी. जे. क्रियन) : (क) से (घ) सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई भौद्योगिक नीति के श्रधीन 18 उद्योगों की छोटी सी सुची को छोड़कर सभी उद्योगों को श्रीद्योगिक ल इसेंस लेने की अनिवर्धना **दे दी ग**ई है। ज्रन्य उत्पादों के साथ-साथ चीनी, अल्कोहलिक पेय पदार्थी डिस्टीलेसन ग्रौर ब्र्इंग, सियार **भिगरेट जैसे तम्बाक् एत्पाद और** लकड़ी पर ग्रःधारित उत्पाद इस सूची में शामिल हैं। इन उत्पादों को ग्रानिवार्य लाइसेंसी-करण के प्रधीन रखने का कारण या तो सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी है अथवा जन-साधारण का स्वास्थ्य है । इन उत्पादों को लाइसेंसीकरण से निकालने के लिए सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है।